

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

**Government of India**  
**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**Notification**

**New Delhi, dated 01.07.2019**

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 90 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Significant Beneficial Owners) second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal rules, for Form No. BEN-2, the following Form shall be substituted, namely:—

## FORM NO. BEN-2

[Pursuant to section 90(4) of The Companies Act, 2013 and rule 4 and rule 8 of the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018]



Return to the Registrar in respect of declaration under section 90

Form language  English  Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) \*Corporate Identity Number (CIN) of company

Pre-fill

2. (a) Name of the company

(b) Registered Office Address

(c) \*email Id

3. \* Purpose of filing the form

For declaration of holding reporting company

CIN of the holding reporting company

For declaration of Significant Beneficial Ownership under Section 90

Number of Significant Beneficial Owners for whom the form is being filed

For Change in Significant Beneficial Ownership under Section 90

Significant Beneficial Owner	Number of Members through whom indirect holding or right in reporting company is being exercise
SBO1	
SBO2	
SBO3	
SBO4	

SBO5	
SBO6	
SBO7	
SBO8	
SBO9	

SBO1 I.

(A) Details of the Member

\* Manner in which significant beneficial interest is being held or exercised either indirectly or together with any direct holding or right (select one or more as may be applicable)

- By virtue of shares  %
- By virtue of voting rights in shares  %
- By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution  %
- By virtue of exercise of control (attach copy of agreement)
- By virtue of exercise of significant influence (attach copy of agreement)

Particulars of the Member

(a) Type of Member

(b) Corporate Identity number(CIN) or Foreign Company Registration Number (FCRN) or Limited liability partnership Identification number(LLPIN) or any other registration number

Pre-fill

(c) Name of the Member

(d) Address

Line I

Line II

City  State

Country  Pin Code

(e) Email ID of the Member

(f) Date of entry of name in register u/s 88

(DD/MM/YYYY)

(B) Status of the SBO

(C) Whether individual (SBO) has majority stake in the

- Member of the Reporting Company  
 Ultimate Holding Company of the member of the reporting company

Corporate Identity number (CIN) or FCRN or any other registration number

Pre-fill

Name of the ultimate holding company

(D) Whether the individual (SBO):

- is a Partner of the member  
 holds majority stake in the body corporate partner  
 holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate partner

Corporate Identity number(CIN) or FCRN or any other registration

Pre-fill

Name of the body corporate partner/ ultimate holding company

(E) Particulars of the Significant Beneficial Owner

ID of the Significant Beneficial Owner

Pre-fill

(a) Name

First name   
Last name   
Middle name

(b) Father's Name (Even married women must give father's name)

First name   
Last name   
Middle name

(c) Date of birth  (DD/MM/YYYY)

(d) Nationality

(e) Whether a citizen of India  Yes  No

(f) Income Tax PAN

Verify Income-tax PAN Details

(g) Passport Number

(h) Address

Line I

Line II

City

State

Country

Pin Code

(i) Email ID of the Significant Beneficial Owner

(j) Date of acquiring Significant Beneficial Interest

(DD/MM/YYYY)

(k) Date of declarations under sub-section (1) of section 90

(DD/MM/YYYY)

(l) Date of receipt of the declaration by the company

(DD/MM/YYYY)

(m) Whether Significant Beneficial Owner has any direct holding or right in the reporting company

Yes

No

If yes, enter details below:

By virtue of shares

%

By virtue of voting rights in shares

%

By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution

%

By virtue of exercise of control (attach copy of agreement)

By virtue of exercise of significant influence (attach copy of agreement)

Attachments:

1. \*Declaration under Section 90

Attach

2. Optional attachments, if any

Attach

List of Attachments

Remove attachment

### Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and attachments is correct and complete. I have been authorized by board of directors' resolution dated\* (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

\*To be digitally signed by

DSC BOX

\*Designation

\*Director identification number of the director; or  
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or  
Membership number of company secretary.

### Certificate by Practicing Professional

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

Chartered Accountant (in whole-time practice) or  Cost Accountant (in whole-time practice) or  
 Company Secretary (in whole-time practice)

Whether Associate or Fellow  Associate  Fellow

Membership Number

Certificate of Practice Number


---

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

---

**This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.**

[ F.No. 1/1/2018 CL-V]

  
K.V.R. Murty, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 561(E), dated the 13th June, 2018 and subsequently amended *vide* number G.S.R.100 (E), dated the 8<sup>th</sup> February, 2019.

\*\*\*\*\*

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार


कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

1 जुलाई 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 90 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 हैं।  
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. मूल नियमों में प्ररूप संख्या बीईएन-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<p><b>प्ररूप संख्या बीईएन-2</b></p> <p>[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(4) और कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 के नियम 4 के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p><b>धारा 90 के अधीन घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को विवरणी</b></p>
---	---	---

प्ररूप की भाषा           oअंग्रेजी           oहिंदी  
 प्ररूप को दायर करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1. (क)\*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) ..... (पूर्व पूरित)
2. (क) कंपनी का नाम .....  
 (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता .....  
 (ग) \*ई-मेल पता .....
3. \*इस प्ररूप को दायर करने का उद्देश्य
  - o होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी की घोषणा के लिए होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी का सीआईएन
  - o धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा हेतु महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों की संख्या जिनके लिए प्ररूप दायर किया जा रहा है
  - o धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में परिवर्तन हेतु

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी	उन सदस्यों की संख्या जिनके माध्यम से रिपोर्टिंग कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से होल्डिंग या अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है
एसबीओ1	
एसबीओ2	
एसबीओ3	
एसबीओ4	
एसबीओ5	
एसबीओ6	
एसबीओ7	
एसबीओ8	
एसबीओ9	



एसबीओ1 ।

(क) सदस्य का विवरण .....

\*वह रीति जिसमें महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित या तो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार के साथ मिलकर धारित है या प्रयोग किया जा रहा है। (एक या अधिक, जो लागू हो, का चयन करें)

- शेयरों के माध्यम से ..... %
- शेयरों में मताधिकार के माध्यम से .....%
- वितरण योग्य लाभांश या अन्य किसी वितरण पर अधिकार के माध्यम से ..... %
- नियंत्रण का प्रयोग करने के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न करें)
- महत्वपूर्ण प्रभाव के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न करें)

सदस्य का ब्यौरा

(क) सदस्य का प्रकार

(ख) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) या सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... (पूर्व पूरित)

(ग) सदस्य का नाम .....

(घ) पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर .....

राज्य .....

राष्ट्र .....

पिन कोड .....

(ङ) सदस्य का ई-मेल पता .....

(च) धारा 88 के अधीन रजिस्टर में नाम प्रविष्ट करने की तारीख .....

(दिन/माह/वर्ष)

(ख) एसबीओ की प्रस्थिति .....

(ग) क्या वैयक्तिक (एसबीओ) के पास निम्नलिखित के पास बहुसंख्यक हिस्सा है

- रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य
- रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य की अंतिम होल्डिंग कंपनी

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... (पूर्व पूरित)

अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम .....

(घ) क्या वैयक्तिक (एसबीओ) :

- सदस्य का कोई भागीदार है
- कारपोरेट निकाय भागीदार के पास बहुसंख्यक हिस्सा है
- कारपोरेट निकाय भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी में बहुसंख्यक हिस्सा है (पूर्व पूरित)

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या एफसीआरएन या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

कारपोरेट निकाय भागीदार/अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम .....

(इ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की विशिष्टियां

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का पहचान पत्र

(क) नाम

पहला नाम.....

अंतिम नाम .....

मध्य नाम .....

(ख) पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम लिखें)

पहला नाम.....

अंतिम नाम .....

मध्य नाम .....

(ग) जन्मतिथि ..... (दिन/माह/वर्ष)

(घ) राष्ट्रियता .....

(ङ) क्या भारत के नागरिक हैं      ○ हां      ○ नहीं

(च) आयकर पैन      (आयकर पैन का सत्यापन करें)

(छ) पासपोर्ट संख्या

(ज) पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर .....

राज्य .....

राष्ट्र .....

पिन कोड .....

(झ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का ई-मेल पता .....

(ञ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित प्राप्त करने की तारीख      (दिन/माह/वर्ष)

(ट) धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाओं की तारीख ..... (दिन/माह/वर्ष)

(ठ) कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्ति की तारीख ..... (दिन/माह/वर्ष)

(ड) क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी के पास रिपोर्टिंग कंपनी में कोई प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार है  हां  नहीं

यदि हां तो, नीचे विवरण दें:

- शेयरों के माध्यम से ..... %
- शेयरों में मताधिकार के माध्यम से .....%
- वितरण योग्य लाभांश या अन्य किसी वितरण पर अधिकार के माध्यम से ..... %
- नियंत्रण का प्रयोग करने के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न करें)
- महत्वपूर्ण प्रभाव के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न करें)

संलग्नक:

संलग्नकों की सूची

1. \*धारा 90 के अधीन घोषणा (संलग्न करें)
2. वैकल्पिक संलग्न, यदि कोई है तो (संलग्न करें)

(संलग्नक हटाएं)

### घोषणा

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप और अनुलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मुझे बोर्ड के निदेशकों के संकल्प, तारीख ..... (दिन/माह/वर्ष) के द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

\*डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए (डीएससी बॉक्स)

\*पदनाम.....

\*निदेशक का निदेशक पहचान संख्या या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

.....

### व्यवसायरत पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे आनुषंगिक मामलों के संबंध में पढ़ लिया है और मैंने उपरोक्त विवरणों, जो उस प्ररूप की विषयवस्तु हैं, (जिसमें संलग्नक भी शामिल हैं) को

कंपनी द्वारा रखे गए मूल/अभिलेखों से सत्यापित कर लिया है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) ○ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

○ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत) (डीएससी बॉक्स)

क्या एसोशिएट या फैलो है \*एसोशिएट \*फैलो

सदस्यता संख्या .....

पैक्टिस संख्या प्रमाणपत्र .....

संशोधन करें

प्ररूप चैक करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

---

टिप्पण: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः मिथ्या कथन के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्यों के लिए दंड का उपबंध करता है।

---

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया गया है और निदेशक और पेशेवर द्वारा दिए गए यथार्थता के कथन पर आधारित है।

[फा.सं. 1/1/2018 सीएल. V]

के.वी. आर. मूर्ति

01/07/19

के.वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, असाधारण, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.561(अ) तारीख 13 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् दिनांक 8 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.100(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

\*\*\*\*\*